



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – ए संख्या – 1013 वर्ष 2026

दीपक कुमार गुप्ता

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता : मृत्युंजय तिवारी, विजय कुमार तिवारी

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी., सिद्धार्थ सिंघल

न्यायालय संख्या – 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार तिवारी तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने वर्ष 2016 की विज्ञापन संख्या-3 के तहत ग्राम विकास अधिकारी के पद हेतु आवेदन किया था, किन्तु उसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया गया था, उन्होंने रिट-ए संख्या 14181 वर्ष 2018 दायर की थी, जिसे दिनांक 27.06.2018 को खारिज कर दिया गया तथा उसके विरुद्ध विशेष अपील संख्या 1165 वर्ष 2018 भी दिनांक 29.04.2019 को निस्तारित हो गई। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि उसे सुश्री खुशबू कुमारी गुप्ता को दिए गए लाभों के समान लाभ प्रदान किया जाए।
3. इसके विपरीत, विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि चयन प्रक्रिया वर्ष 2016 की विज्ञप्ति के अनुसार प्रारंभ हुई थी और वर्ष 2019 में पूर्ण हो चुकी है, जबकि वर्तमान रिट याचिका जनवरी 2026 में दायर की गई है, जो अत्यधिक विलंब से ग्रस्त है।
4. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात्—
5. यह निर्विवाद है कि संबंधित विज्ञापन वर्ष 2016 में प्रकाशित हुआ था और चयन प्रक्रिया वर्ष 2019 में ही पूर्ण हो गई थी। अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि याचिकाकर्ता पूर्व में इस न्यायालय के समक्ष आने से किसी कारणवश वंचित था। अतः विलंब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
6. तदनुसार, यह रिट याचिका निरस्त की जाती है।

जनवरी 28, 2026

आशु

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"